न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 33/2019
जीसीएमएस नम्बर : 2019/00089

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
उतमचन्द पुत्र हेमराज जाति जैन निवासी धाकड़ी तहसील सोजत जिला पाली		1. शांतिलाल काठेड़ पुत्र बंशीलाल जाति जैन निवसी धाकड़ी तहसील सोजत जिला पाली, राज. 2. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत धाकड़ी, तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 06/11/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत धाकड़ी द्वारा मिसल संख्या 134/2017 दिनांक 05.05.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या शान्तिलाल काठेड़ के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 05.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा तथ्यों, वाक्यातों के विपरीत जारी किया हुआ है क्योकि जैर निगरानी भूखण्ड का पूर्व में प्रार्थी के पक्ष में मिसल संख्या 187/2013–14 की पालना में पट्टा संख्या 30 दिनांक 05.05.2014 जारी हो चुका है, जो कि 1880 वर्गफीट का है। पूर्व में जारी पट्टे के उत्तर दिशा में नारायणलाल पुत्र नवलाराम है जबकि जैर निगरानी पट्टे की उत्तर दिशा में नारायणलाल के पुत्र छैलाराम पुत्र नारायणलाल का नाम लिखा अंकित है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में दोनो पट्टों में आम रास्ता, पूर्व दिशा में भवरलाल पुत्र मंगाराम एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता अंकित है जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टे पर जारी किया हुआ है। जैर निगरानी भूखण्ड पर प्रार्थी का आदिनांक तक निर्ववाद रूप से कब्जा आया हुआ है। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल में बयान फार्म में बायन किसने दिये, कोई नाम पता अंकित नहीं है। आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस कहा एवं किन व्यक्तियों के समक्ष चस्पा किया गया, स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी ने जैर निगरानी भूखण्ड के मध्य स्थित भूखण्ड को वर्ष 2000 में खीवाराम को किराये हेतु दिया था जो कि किराया चिठी दिनांक 10.11.2000 से स्पष्ट होता है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

राज नियमों की पालना नहीं करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की कब्जासुदा जैर निगरानी भूखण्ड ग्राम पंचायत धाकडी तहसील सोजत में आया हुआ है जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में छेलाराम पुत्र नारायणलाल सीरवी का मकान, दक्षिण दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, पूर्व दिशा में भंवरलाल पुत्र मगाराम सीरवी का मकान व पश्चिम दिशा में आम रास्ता व मकान का दरवाजा आया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट है, जिसका एकमात्र मालिक अप्रार्थी है तथा उक्त भूखण्ड पर ग्राम पंचायत ने निमार्ण कार्य हेतु अप्रार्थी को अनुमति भी प्रदान की है। अप्रार्थी संख्या 2 ने नियमों के परिपेक्ष में विधिनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन एवं अनुशीलन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत धाकड़ी द्वारा मिसल संख्या 134/2017 दिनांक 05.05.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या शान्तिलाल काठेड़ के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 05.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा, पूर्व में जारी पट्टासुदा आराजी पर जारी किया हुआ है, जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी ने इस कथन का विरोध करते हुये यह जाहिर किया कि जैर निगरानी पट्टा किसी अन्यत्र आबादी भूमि में जारी किए गये है। इन तथ्यों की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत धाकड़ी द्वारा प्रार्थी उतमचन्द के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 05.05.2014 में अंकित पड़ौस एवं हस्तगत पट्टे में अंकित पड़ौस का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि दोनो पट्टो की दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूर्व दिशा में भवरलाल पुत्र मंगाराम एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता तथा प्रार्थी के पट्टे की उत्तर दिशा में नारायणलाल पुत्र नवलाराम व जैर निगरानी पट्टे की उत्तर दिशा में नारायणलाल के पुत्र छैलाराम पुत्र नारायणलाल का नाम लिखा अंकित है, जिससे यह सुस्पष्ट जाहिर होता है कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टे पर ही जारी हो रखा है, जिसके पश्चात किसी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 05.05.2017, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु जैर प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह् लगाती हैं। हस्तगत प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है तथा कब्जा सत्यापन हेतु बयान फार्म में जिन व्यक्तियों के बयान लिये गये है, उनके नाम ही अंकित नहीं है अर्थात् ग्राम पंचायत ने किन व्यक्तियों के बयान लिये है यह स्पष्ट नहीं है एवं बयान एक निर्धारित प्रारूप कम्प्यूटर टाईप है जिसमें साईक्लोस्टाईल में बयानात दर्ज है, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसका सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में किसी भी गवाहों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, न ही चस्पानगी के स्थान की जानकारी अंकित है तथा आपत्ति इश्तिहार के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पचांयत द्वारा पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत धाकड़ी द्वारा मिसल संख्या 134/2017 दिनांक 05.05.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या शान्तिलाल काठेड़ के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 05.06.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner